मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 11-38/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 11/01/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर्स,
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

विषय- सरकारी कामकाज एवं पत्र व्यवहार में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एम-19-21/(1990)/1/4 भोपाल दिनांक 9-4-1990

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सरकारी कार्यालयों, अर्धशासकीय निकायों, उपक्रमों तथा निगमों में तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी प्रकार का सरकारी कामकाज अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किये जाने के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं। उन्हें अनेक बार दोहराया भी जा चुका है। केन्द्र तथा अन्य राज्यों से भी पत्र-व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट भाषा में ही किये जाने चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं है।

2. राज्य शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वैधानिक व्यवस्था तथा शासन के स्पष्ट और बारम्बार निर्देशों के बावजूद अंग्रेजी का उपयोग करने के प्रलोभन से बचा नहीं जा रहा है। यह देखने में आ रहा है कि कुछ विभाग, निगम, उपक्रम और अर्धशासकीय संस्थान अभी भी तकनीकी विषयों का बहाना लेकर अपने दैनिक सरकारी कामकाज, पत्र-व्यवहार, निमंत्रण-पत्र, नामपट्ट, सूचनाएं, समाचार-पत्रों में निविदाएं, विज्ञप्तियां आदि के प्रकाशन तथा केन्द्र और अन्य राज्यों से सम्पर्क में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं।

3. अतः निर्देशित किया जाता समस्त शासकीय कार्य, पत्र-व्यवहार अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में ही किया जाए। केन्द्र शासन को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाए और अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जाए। अपने विभाग में हिन्दी में काम हो रहा है या नहीं, यह देखने का उत्तरदायित्व सचिव, विभागाध्यक्ष और निगमों के प्रमुख कार्यपालिक अधिकारी का होगा।

12
2/2/16

4. राज्य शासन के द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग, संचालनालय, निगम, उपक्रम या अर्धशासकीय संस्थान में कोई भी कार्रवाई अंग्रेजी में होती पाई जाती है तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण माना जाएगा और संबधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए ।

(एम. के. वार्ष्णेय)
प्रमख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र0 F11-36/2015/1/9

भोपाल, दिनांक 11/01/2016

प्रतिलिपि-

1.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2.अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल ।
4.रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल ।
6.सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र.इन्दौर ।
7.विशेष सहायक/निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
8.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल ।
9.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10.महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र.जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर। ·
11.महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
12.अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
13.प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
14.प्रमुख सचिव(समन्वय)मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल ।
15.प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
16.आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल ।
17.समस्त शासकीय/अर्धशासकीय निकाय, निगम, परिषदें, अकादमियां (म.प्र.)
18.अवर सचिव, साप्रवि, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,म.प्र.भोपाल। 19.अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
20.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल
आवक क्र. ____
दिनांक 29/1/16

अपर संचालक	RSC
संयुक्त संचालक	
उप संचालक	
सहायक संचालक	
तथ्यांक प्रशासक	

वि.क.अ.सह-आयुक्त
कोष एवं लेखा

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>मंत्रालय, भोपाल</u>

क्रमांक एफ 11-38/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 1/01/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

शासन के समस्त विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर्स,

समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

विषय-माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 12.09.2015 को 10वे विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन् अवसर पर दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन बावत।

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भोपाल में 12 सितम्बर 2015 को 10वे विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन अवसर पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि --

(1)किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकार की शास्ति इस आधार पर नही हो सकेगी कि उसे अँग्रेजी नही आती। हिन्दी में काम करने के परिणाम स्वरूप यदि किसी को प्रताडना अथवा हतोत्साहित किया जाता है तो इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए।

(2) राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी रखा जाए ।

(3) राज्य शासन के द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग, संचालनालय, निगम, उपक्रम या अर्धशासकीय संस्थान में कोई भी कार्रवाई अंग्रेजी में होती पाई जाती है तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण माना जाएगा और संबधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए ।

(एम. के. वार्ष्णेय)
प्रमख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

2/2/16

पृ. क्र0 F 11-30/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 11 /01/2016

प्रतिलिपि-

1.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।

2.अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

3.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल ।

4.रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर ।

5.सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल ।

6.सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र.इन्दौर ।

7.विशेष सहायक/निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।

8.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल ।

9.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।

10.महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र.जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।

11.महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।

12.अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।

13.प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।

14.प्रमुख सचिव(समन्वय)मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल ।

15.प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

16.आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल ।

17.समस्त शासकीय/अर्धशासकीय निकाय, निगम, परिषदें, अकादमियां (म.प्र.)

18.अवर सचिव, साप्रवि, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,म.प्र.भोपाल।

19.अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।

20.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल
क्रमांक
दिनांक 29/1/16

अपर संचालक	RSC
संयुक्त संचालक	
उप संचालक	
सहायक संचालक	
सहायक प्रबंधक	

वि.क.अ.सह-आयुक्त
कोष एवं लेखा